न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

सत्र परीक्षण संख्या -237/2018

राज्य प्रति दीपक तिवारी उर्फ दिलीप कुमार तिवारी व 2 अन्य

अपराध संख्या 08/2018

धारा 498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि० विकल्प में धारा 302 सपठित 34 I.P.C.

थाना-सरेनी, जिला रायबरेली।

आरोप

मैं के०के० अस्थाना, सत्र न्यायाधीश रायबरेली आप अभियुक्तगण दीपक तिवारी उर्फ दिलीप कुमार, रामकुमार तिवारी व श्रीमती उर्मिला देवी को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

प्रथमः- यह कि स्थान ग्राम भोजपुर, थाना सरेनी, जिला रायबरेली के अंतर्गत आप अभियुक्तगण, जो कि मृतका श्रीमती रूचि के पति व पति के रिश्तेदार थे, ने 17.02.2016 को शादी होने के दिनाँक से दिनांक 21.01.2018 तक वादी की पुत्री मृतका श्रीमती रूचि व उसके परिजनों से अतिरिक्त दहेज में मोटर साइकिल व एक लाख रूपये नकद की माँग करते थे तथा अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट व क्रूरता करते थे। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो सत्र न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि दिनाँक 21.01.2018 को दिन में लगभग 2.00 बजे स्थान मकान अभियुक्तगण स्थित ग्राम भोजपुर, अंतर्गत थाना सरेनी जिला रायबरेली में आप अभियुक्तगण ने वादी की पुत्री श्रीमती रूचि की, उसकी शादी के सात वर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मिट्टी का तेल डालकर आग से जलाकर अस्वाभाविक मृत्यु कारित कर दी। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो सत्र न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय- यह कि आप 17.02.2016 को शादी होने के दिनाँक से दिनांक 21.01.2018 तक अतिरिक्त दहेज में मोटर साइकिल व एक लाख रूपये की मांग करते थे तथा अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ क्रूरता करते थे। इस प्रकार आपने धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो सत्र न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

वैकल्पिक आरोप

यह कि दिनाँक 21.01.2018 को समय लगभग 2.00 बजे दिन वहद

मकान अभियुक्तगण स्थित ग्राम भोजपुर, थाना सरेनी जिला रायबरेली में आपने सह अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा की पुत्री श्रीमती रूचि की मृत्यु कारित करके साशय हत्या कर दी। इस प्रकार आपने धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो सत्र न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूं कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप में इस न्यायालय द्वारा किया जावे।

दिनाँक- 22.11.2018 **(के०के० अस्थाना)**

सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप को इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की ।

दिनाँक- 22.11.2018 **(के०के० अस्थाना)**

सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

सत्र परीक्षण संख्या -237/2018

राज्य प्रति दीपक तिवारी उर्फ दिलीप कुमार तिवारी व 2 अन्य

अपराध संख्या 08/2018

धारा 498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि० विकल्प में धारा 302 सपठित 34 I.P.C.

थाना-सरेनी, जिला रायबरेली।

22.11.2018

पुकारा गया। अभियुक्तगण दीपक तिवारी व उर्मिला जिला कारागार से अभिरक्षा में उपस्थित आये। अभियुक्त रामकुमार व्यक्तिगत रूप से जमानत पर उपस्थित है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित आये।

आरोप के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने विवेचक द्वारा एकत्र किये गये साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया। उनका तर्क है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित करने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। इन तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित करने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, नक्शा नजरी, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि अभियोजन प्रपत्रों एवं सम्बन्धित गवाहों के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंकित किये गये बयानों के आधार पर अभियुक्तगण दीपक तिवारी उर्फ दिलीप कुमार तिवारी, उर्मिला देवी व रामकुमार तिवारी के विरूद्ध धारा 498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, विकल्प में धारा 302 सपठित 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप अलग से विरचित किया जाए।

दिनाँक- 22.11.2018

(के०के० अस्थाना)

सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

तदुपरान्त अभियुक्तगण दीपक तिवारी उर्फ दिलीप कुमार तिवारी, उर्मिला देवी व रामकुमार तिवारी के विरूद्ध धारा 498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, विकल्प में धारा 302 सपठित 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनाँक 18.12.2018 को पेश हो।

दिनाँक- 22.11.2018

(के०के० अस्थाना)
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।